



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220143
CG-DL-E-24062020-220143

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1797]
No. 1797]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ़ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का.आ. 2022(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, जो राज्य सभा के एक सदस्य के जो अपनी पदावधि के, अवसान पर 23 जून, 2020 को निवृत्त हो गए थे, स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री नबाम रेबिया

ग्राम मिदपू-II पी.ओ. और पी.एस. दायमुख,

जिला पापुम परे,

अरुणाचल प्रदेश।

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं उस सदन में 1 (एक) सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 23.06.2020 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : ईटानगर

तारीख : 12 जून, 2020

ह./-

रिटर्निंग ऑफिसर।

[फा.सं.एच-11024/1/2020-वि.II]

डा. जी.नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2022 (E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, who retired on 23rd June, 2020 on the expiration of his term of office, is published for general information:-

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

SHRI NABAM REBIA

Village Midpu-II, P.O. & P.S. Doimukh,

District Papum Pare,

Arunachal Pradesh.

Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (Name of recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House of Council of State 1 (One) Member retiring on 23.06.2020 on the expiration of his term of office.

Dated Itanagar

The 12th June, 2020

Sd-

Returning Officer”.

[F.No.H.11024/1/2020-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

का.आ. 2023(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक का.आ.1704 (अ), तारीख 02 जून, 2020 के अनुसरण में अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा के निर्वाचित छह सदस्यों के स्थानों को, जो उनकी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के कारण रिक्त हो गए हैं, भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए हैं ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, ऊपर उल्लिखित तीन (03) राज्यों में से एक (1) राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :--

क्र. सं.	सदस्य का नाम	राज्य
1.	श्री नबाम रेबिया	अरुणाचल प्रदेश

[फा.सं.एच-11024/1/2020-वि.II]

डा. जी.नारायण राजू, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

S.O. 2023 (E).— Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O. 1704 (E) dated the 2nd June, 2020 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of six members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Karnataka and Mizoram which fell vacant on the retirement of six members on the expiration of their term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of one (1) State out of the abovementioned three (03) States is hereby notified for general information:

S.N.	Name of the member	State
1	SHRI NABAM REBIA	Arunachal Pradesh

[F.No.H.11024/1/2020-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.